

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2016/8010

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2016

:—कार्यालय ज्ञाप—:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2016 एवं 15-5-2016 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2016-17 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2016-17 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-20(ग) में निम्न संस्था के निजी क्षेत्र में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम के संचालन हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2016-17 हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन के उपरांत परिषद से सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र पर समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया और निरीक्षण समिति की संस्तुतियों के आधार पर ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सत्र 2016-17 के लिए निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन परिषद से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2016-17 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र 2016-17 हेतु ए०आई०सी०टी०ई०/परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता	अवधि
1	बुलंदशहर कालेज बुलंदशहर स्कूल आफ फार्मसी, विलेज-पाली भावसी, औरंगाबाद रोड, बुलंदशहर-203001	डिप्लोमा इन फार्मसी-60	02 वर्ष

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु रू०- 28,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू०- 20,000.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2016-2017 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

